मनसा शिक्षा महाविद्यालय
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय,दुर्ग से संबंद्ध
नेक द्वारा ए (3.13) श्रेणी प्रदत्त

Mansa College of Education
Affiliated to HemchandYadav University, Durg
NAAC Accredited with A (3.13) grade

क्रमांक– 1461

दिनांक 06/01/2026

Fees Description

Mansa College of Education Bhilai, fees description of the course offered for the year 2025-2026.

Sno.	Branch	Duration	Semester Fees	Fees /Year	Course -Fees Total
1.	B.A	3 year	5000/-	10000/-	30000/-
2.	B.com	3 year	6000/-	12000/-	36000/-
3.	B.Ed	2 year	16800/-	33,600/-	67,200/-
4.	B.P.Ed	2 year	16850/-	33,700/-	67,400/-
5.	M.Ed	2year	15000/-	30000/-	60,000/-

Principal 06/01/26
Mansa College Of Education

Principal
Mansa College of Education
Kurud, Bhilai (C.G

मनसाआई.टी.सी. कोहकारोडकुरूदभिलाई, दुर्ग (छ.ग.) – 490024,Mansa I.T.C. Kohka Road Bhilai, Durg (C.G.)-490024
दूरभाष / Phone :9893750431,0777-2034444E-mail : mansacollege2009@yahoo.in, mansacollege@gmail.comFax : 2258570
Web site :www.mansacollege.co

B. Ed.

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति

(छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत गठित)

मनसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कोहका, कुरूद रोड, भिलाई, एम.जे. कॉलेज, कोहका, जुनवानी रोड, भिलाई, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई नगर, शिवा कॉलेज, मैत्री विहार, सुपेला, भिलाई, घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय, आर्य नगर, दुर्ग, भारती कॉलेज, पुलगांव चौक, दुर्ग, अपोलो कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, अंजोरा, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुडको, भिलाई, कल्याण स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर 07, भिलाई नगर, भिलाई मैत्री कॉलेज, रिसाली सेक्टर, भिलाई, श्री रावतपुरा सरकार संस्थान, पावरग्रिड के पास, कुम्हारी, श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, हॉलीडे रिसार्ट के पीछे, कुम्हारी, आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, एन.एच. 06, कुम्हारी, सांदीपनी एकेडमी, ग्राम-अछोटी, मुरमुंदा, दुर्ग, प्रिज्म कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम-महकाखुर्द, उतई, दुर्ग, उदय कॉलेज, ए.सी.सी. बोगदा पुल के पास, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई, छत्तीसगढ़ कल्याण शिक्षा महाविद्यालय, अहेरी, पोस्ट-ढौर, जिला-दुर्ग, भिलाई कॉलेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, दुर्गा मंदिर वार्ड, जामुल, भिलाई, श्री साई कॉलेज, देउरझाल, अहिवारा, धमधा, दुर्ग, रूंगटा कॉलेज ऑफ साईसेस एंड टेक्नालॉजी (संजय रूंगटा ग्रुप), कोहका, कुरूद रोड, भिलाई, जी. डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साईस एंड टेक्नालॉजी (संतोष रूंगटा), कोहका, कुरूद रोड, भिलाई, देव संस्कृति कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नालॉजी, खपरी, धमधा रोड, दुर्ग, कांति दर्शन शैक्षणिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, कोसा नगर, नेहरू नगर ईस्ट टोल प्लाजा, भिलाई, देव मॉडल कॉलेज, आर्य नगर, दुर्ग, खालसा कॉलेज, फाईव बिल्डिंग कैम्पस, सिविल लाईन, दुर्ग, सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय, कसारीडीह वार्ड, गौरवपथ, दुर्ग, विद्यापीठ कॉलेज, मालवीय नगर, दुर्ग, बी.एम. कॉलेज, बालोद रोड, दुर्ग, भिलाई स्कूल ऑफ एजुकेशन, चंद्रखुरी, जिला-दुर्ग, शैलदेवी महाविद्यालय, जांजगिरी रोड, अंडा, दुर्ग, जगतगुरू शंकराचार्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आमदी नगर, हुडको, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शिक्षा महाविद्यालय, रिसाली, भिलाई, भिलाई महिला महाविद्यालय, हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई नगर, सेंट थॉमस कॉलेज,

छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
क्रमांक ....4125....
दिनांक 27/4/23
शंकर नगर, रायपुर

करेंगे तथा प्रॉस्पेक्टस की एक प्रति प्रवेश तथा फीस विनियामक सचिवालय में जमा करनी होगी।

72. संस्था छात्र से रू. 2000/- (रूपए दो हजार मात्र) प्रति छात्र एकमुश्त प्रवेश के समय काशनमनी के रूप में प्रावधानित राशि ले सकेगी, जो छात्र के संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य होगी।

73. संस्था द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेना अथवा ए.एफ.आर.सी. द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना केपिटेशन फीस कहलाएगी एवं दोषी संस्था के उपर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

74. यह फीस शिक्षण सत्र 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 में प्रवेशित छात्रों के लिए ही लागू होगी एवं यही फीस पूरे पाठ्यक्रम अवधि के लिए लागू रहेगी।

75. विश्वविद्यालय शुल्क एवं काउंसिलिंग शुल्क, राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गये नियमों के तहत ही लिया जा सकेगा।

76. ए.एफ.आर.सी.द्वारा निर्धारित की गई फीस अधिकतम है, कोई संस्था चाहे तो इससे कम फीस भी ले सकती है।

77. संस्था द्वारा छात्र से प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं माईग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं, 12वीं की मूल अंकसूची, मूल निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र आदि) जमा नहीं कराया जाना है। केवल सत्यापन हेतु उसका अवलोकन किया जा सकता है।

78. छात्र द्वारा निर्धारित अवधि में प्रवेश के एक माह के अंदर फीस जमा न करने पर संस्था, छात्र से रू.10/-(रूपये दस मात्र) प्रतिदिन की दर से पहले महीने एवं दूसरे महीने से रू. 15/- (रूपये पन्द्रह मात्र) प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क ले सकेगी, इससे अधिक राशि वह नहीं वसूल कर सकेगी।

79. WP(C)1707/2016 श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर बनाम छ.ग. शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02/02/2017 में प्रतिपादित

करेंगे तथा प्रॉस्पेक्टस की एक प्रति प्रवेश तथा फीस विनियामक सचिवालय में जमा करनी होगी।

72. संस्था छात्र से रू. 2000/- (रूपए दो हजार मात्र) प्रति छात्र एकमुश्त प्रवेश के समय काशनमनी के रूप में प्रावधानित राशि ले सकेगी, जो छात्र के संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य होगी।

73. संस्था द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेना अथवा ए.एफ.आर.सी. द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना केपिटेशन फीस कहलाएगी एवं दोषी संस्था के उपर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

74. यह फीस शिक्षण सत्र 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 में प्रवेशित छात्रों के लिए ही लागू होगी एवं यही फीस पूरे पाठ्यक्रम अवधि के लिए लागू रहेगी।

75. विश्वविद्यालय शुल्क एवं काउंसिलिंग शुल्क, राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गये नियमों के तहत ही लिया जा सकेगा।

76. ए.एफ.आर.सी.द्वारा निर्धारित की गई फीस अधिकतम है, कोई संस्था चाहे तो इससे कम फीस भी ले सकती है।

77. संस्था द्वारा छात्र से प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं माईग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं, 12वीं की मूल अंकसूची, मूल निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र आदि) जमा नहीं कराया जाना है। केवल सत्यापन हेतु उसका अवलोकन किया जा सकता है।

78. छात्र द्वारा निर्धारित अवधि में प्रवेश के एक माह के अंदर फीस जमा न करने पर संस्था, छात्र से रू.10/-(रूपये दस मात्र) प्रतिदिन की दर से पहले महीने एवं दूसरे महीने से रू. 15/- (रूपये पन्द्रह मात्र) प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क ले सकेगी, इससे अधिक राशि वह नहीं वसूल कर सकेगी।

79. WP(C)1707/2016 श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर बनाम छ.ग. शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02/02/2017 में प्रतिपादित

सिद्धांतों के अनुसार यदि कोई छात्र काउंसिलिंग के दौरान संस्था छोड़ना चाहता है एवं अपना प्रवेश निरस्त कराना चाहता है तो उसे काउंसिलिंग के अंतिम तिथि के 05 दिन पूर्व संबंधित संस्था में प्रवेश निरस्ती संबंधी आवेदन पत्र जमा करनी होगी, तभी उसकी जमा फीस नियमानुसार वापसी योग्य होगी। अन्यथा उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार फीस वापस नहीं की जा सकेगी।

80. छात्र से ली जाने वाली फीस या वापस की गई राशि बैंक के माध्यम से जैसे चेक अथवा बैंकड्राफ्ट द्वारा से ही ली या वापस की जा सकेगी।

81. संस्था प्रतिवर्ष गतवर्ष की आडिट रिपोर्ट नोटिस बोर्ड में चस्पा करेगी।

82. संबंधित संस्था फीस से संबंधित जानकारी एवं स.क्र. 68 से 81 तक की जानकारियां संस्था के नोटिस बोर्ड में बड़े अक्षरों में प्रसारित करेंगे तथा अपनी वेबसाईट में भी अपलोड करेंगे एवं की गई कार्यवाही से इस ए.एफ.आर.सी. को सूचित करेंगे।

83. अतः यह ए.एफ.आर.सी. मनसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कोहका, कुरूद रोड, भिलाई, एम.जे. कॉलेज, कोहका, जुनवानी रोड, भिलाई, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई नगर, शिवा कॉलेज, मैत्री विहार, सुपेला, भिलाई, घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय, आर्य नगर, दुर्ग, अपोलो कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, अंजोरा, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुडको, भिलाई, कल्याण स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर 07, भिलाई नगर, भिलाई मैत्री कॉलेज, रिसाली सेक्टर, भिलाई, श्री रावतपुरा सरकार संस्थान, पावरग्रिड के पास, कुम्हारी, श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, हॉलीडे रिसार्ट के पीछे, कुम्हारी, आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, एन.एच. 06, कुम्हारी, सांदीपनी एकेडमी, ग्राम–अछोटी, मुरमुंदा, दुर्ग, प्रिज्म कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम–महकाखुर्द, उतई, दुर्ग, उदय कॉलेज, ए.सी.सी. बोगदा पुल के पास, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई, छत्तीसगढ़ कल्याण शिक्षा महाविद्यालय, अहेरी, पोस्ट–ढौर, जिला–दुर्ग, भिलाई कॉलेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, दुर्गा मंदिर वार्ड, जामुल, भिलाई, श्री साईं कॉलेज, देउरझाल, अहिवारा, धमधा, दुर्ग,

रूंगटा कॉलेज ऑफ साईंसेस एंड टेक्नालॉजी (संजय रूंगटा ग्रुप), कोहका, कुरूद रोड, भिलाई, जी.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साईंस एंड टेक्नालॉजी (संतोष रूंगटा), कोहका, कुरूद रोड, भिलाई, देव संस्कृति कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नालॉजी, खपरी, धमधा रोड, दुर्ग, कांति दर्शन शैक्षणिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, कोसा नगर, नेहरू नगर ईस्ट टोल प्लाजा, भिलाई, देव मॉडल कॉलेज, आर्य नगर, दुर्ग, खालसा कॉलेज, फाईव बिल्डिंग कैम्पस, सिविल लाईन, दुर्ग, सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय, कसारीडीह वार्ड, गौरवपथ, दुर्ग, विद्यापीठ कॉलेज, मालवीय नगर, दुर्ग, बी.एम. कॉलेज, बालोद रोड, दुर्ग, शैलदेवी महाविद्यालय, जांजगिरी रोड, अंडा, दुर्ग, जगतगुरू शंकराचार्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आमदी नगर, हुडको, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शिक्षा महाविद्यालय, रिसाली, भिलाई, भिलाई महिला महाविद्यालय, हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई नगर, सेंट थॉमस कॉलेज, रूआबांधा, भिलाई, भिलाई नायर समाजम कॉलेज, भिलाई, आर्यावर्त शिक्षा महाविद्यालय, रूआबांधा, भिलाई नगर, अग्रसेन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, धनोरा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, सेक्टर 06, भिलाई नगर एवं छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रिसाली, धनोरा रोड, दुर्ग (छ.ग.) के अधोसंरचना और अन्य आधार पर उनकी श्रेणी का निर्धारण करते हुए कंडिका-68 के अनुसार उनके सम्मुख वर्षों के लिए शैक्षणिक शुल्क का निर्धारण करती है।

संकल्प की प्रति आवश्यक अधिसूचना हेतु राज्य शासन की ओर भेजा जाए तथा एक प्रति वेबसाईट में अपलोड हेतु संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बीटीआई ग्राउंड, शंकरनगर, रायपुर की ओर भेजी जाएं।

5/11/24			
(प्रभात कुमार शास्त्री)	(डॉ.यू.एस.पैकरा)	(योगेश वल्यानी)	(सैयद अफसर अली)
अध्यक्ष	पदेन सदस्य	सदस्य (वित्त)	सदस्य (विधि)
ए.एफ.आर.सी.	(संचालक चिकित्सा शिक्षा)	ए.एफ.आर.सी.	ए.एफ.आर.सी.
	ए.एफ.आर.सी.		

68. तद्नुसार यह ए.एफ.आर.सी. नीचे दर्शित निजी शिक्षण संस्थाओं में संचालित बी.एड पाठ्यक्रम हेतु फीस का अंतिम निर्धारण उसके नाम के सम्मुख वर्षों के लिए निम्नानुसार किया जाता है:-

स. क्र.	निजी बी.एड. कॉलेजों के नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का पुनरीक्षण किया गया।	कुल फीस प्रतिछात्र/प्रतिवर्ष (सम्मिलित ट्यूशन फीस, ग्रोथ एण्ड डेव्लपमेंट चार्जेस, इंसेंटिव एवं अन्य सभी फीस)
1	मनसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कोहका, कुरूद रोड, भिलाई,	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	रू. 33,600.00
2	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई नगर	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	रू. 33,600.00
3	शिवा कॉलेज, मैत्री विहार, सुपेला, भिलाई	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	रू. 32,500.00
4	घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय, आर्य नगर, दुर्ग	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	रू. 32,500.00
5	एम.जे. कॉलेज, कोहका, जुनवानी रोड भिलाई	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	रू. 32,500.00
6	भारती कॉलेज, पुलगांव चौक, दुर्ग	संस्था के निजी विश्ववि हेतु शुल्क और आवेद	जाने से एवं फीस पुनर्निर्धारण ने पुनर्निर्धारण नहीं किया गया।
7	अपोलो कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, अंजोरा	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	रू. 32,800.00
8	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुडको, भिलाई	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	रू. 34,000.00
9	कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर 07, भिलाई नगर, भिलाई	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	रू. 34,000.00
10	मैत्री कॉलेज, रिसाली सेक्टर, भिलाई,	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	रू. 32,500.00

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति

(छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत गठित)

मनसा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कोहका, कुरूद रोड, भिलाई एवं सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) में संचालित बीपीएड पाठ्यक्रम हेतु फीस का पुनरीक्षण शैक्षणिक सत्र 2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027 के लिए अंतिम रूप से किया जा रहा है।

संकल्प दिनांक 21/11/2024

1. छ.ग. निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008, (जिसे आगे "अधिनियम, 2008" से उल्लेखित किया जाएगा), की धारा 4 (1) एवं (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत छ.ग. शासन द्वारा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति (जिसे आगे ए.एफ.आर.सी. से उल्लेखित किया जाएगा), जिसे निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन एवं फीस के निर्धारण के लिए गठित किया गया है।
2. ए.एफ.आर.सी. इस संकल्प द्वारा मनसा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कोहका, कुरूद रोड, भिलाई एवं सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग) में संचालित बीपीएड पाठ्यक्रम हेतु फीस का पुनरीक्षण शैक्षणिक सत्र 2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027 के लिए अंतिम रूप से किया जा रहा है।
3. उक्त संस्थाओं में पूर्व में दिनांक 07/02/2019 को पारित संकल्प द्वारा वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के लिए फीस निर्धारित की गई थी और इस संकल्प के द्वारा उसका पुनर्निर्धारण किया जा रहा है।
4. फीस के निर्धारण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत और प्रदेश में पूर्व में गठित झा समिति की अनुशंसाओं एवं अधिनियम, 2008 की धारा 9 (1) में वर्णित बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा गया।

संस्था की फीस का पुनर्निर्धारण करने हेतु जिन तथ्यों पर विचार किया जाए उनमें मुद्रा स्फीति भी एक तथ्य है जिसकी दर भारत में 2 से 3 प्रतिशत गत कुछ वर्षों से आंकलित की जा रही है, परन्तु केवल मुद्रा स्फीति को ही फीस वृद्धि के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि मुख्य रूप से केपिटल एक्सपेंडिचर जो संस्था ने किए हैं उनकी लगभग पूर्ति हो चुकी है । दो वर्ष के कोरोना महामारी काल में शिक्षण संस्थाओं के खर्चों में बहुत कमी रही है क्योंकि ऑनलाईन पढ़ाई पर ही शिक्षण संस्थाएं चली है इसलिए दो वर्षों में उनकी काफी बचत भी हुई है । इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए समिति संभावित खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए 3 प्रतिशत की वृद्धि को ही समुचित पाती है । इसके अतिरिक्त विकास के लिए भी प्रत्येक संस्था को उसके स्तर के आधार पर जैसा कि समिति ने निरीक्षण में पाया है अतिरिक्त इनसेंटिव के रूप में भी दिया जाना समुचित पाती है । समिति ने तीन श्रेणियां निर्धारित की है। (अ) बहुत अच्छा (Very Good) , (ब) अच्छा (Good), (स) औसत या साधारण (Average) और इस आधार पर ही भविष्य के विकास के लिए भी प्रति छात्र अतिरिक्त राशि देने का तय किया गया है जो क्रमशः औसत या साधारण के लिए 700/-,अच्छा के लिए 1000/-, बहुत अच्छा के लिए 1700/-रूपये निर्धारित की गई।

30. वर्ष 2024-2025 के पूर्व के वर्षों में जिस शिक्षण संस्था में जो फीस ली जा रही थी, वही रहेगी । आगे के वर्षों के लिए नीचे की सूची में वर्णित अनुसार शिक्षण संस्थाओं की आगामी 2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027 के लिए शैक्षणिक शुल्क निर्धारित करती है ।

31. तद्नुसार यह समिति मनसा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कोहका, कुरूद रोड, भिलाई एवं सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) में संचालित बी.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु फीस का अंतिम निर्धारण उसके नाम के सम्मुख वर्षों के लिए निम्नानुसार किया जाता है:-

स. क्र.	निजी बीपीएड कॉलेजों के नाम	वर्ष जिसके लिए फीस पुनरीक्षण किया गया	श्रेणी	कुल फीस प्रतिवर्ष/प्रति छात्र (सम्मिलित ट्यूशन फीस, लायब्रेरी, लेबोरेटरी, ग्रोथ एण्ड डेव्लपमेंट चार्जेस एवं अन्य सभी फीस)
1.	मनसा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कोहका, कुरूद रोड, भिलाई	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	औसत	रू. 33,700.00
2.	सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	औसत	रू. 32,600.00

32. संस्था द्वारा ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य मदों में जो फीस ली जावेगी उसका पूरा विवरण नोटिस बोर्ड, संस्था की वेबसाईट तथा प्रवेश हेतु जारी किए जाने वाले प्रॉस्पेक्टस में उल्लेखित होगी। प्रॉस्पेक्टस काउंसिलिंग के पूर्व अनिवार्य रूप से जारी करेंगे तथा प्रॉस्पेक्टस की एक प्रति प्रवेश तथा फीस विनियामक सचिवालय में जमा करनी होगी।

33. छात्रावास, मेस और कॉलेज आने-जाने के लिए ट्रांस्पोर्टेशन की सुविधा वैकल्पिक रहेगी। प्रत्येक छात्र/छात्राओं के लिए यह बाध्यता नहीं है कि उसका उपयोग करें। यह स्वैच्छिक है। छात्रावास, मेस एवं ट्रांस्पोर्टेशन शुल्क "न लाभ न हानि" (NO PROFIT NO LOSS) के आधार पर केवल उपयोगकर्ता छात्र/छात्राओं से ही लिया जाना है, अन्य छात्रों से नहीं लिया जा सकेगा।

34. संबंधित संस्था अपनी उक्त फीस के अतिरिक्त और कोई भी शुल्क यूनिफार्म, आई. डी.-कार्ड, लायब्रेरी-कार्ड, लेबोरेटरी, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूद, स्किल लैब एवं एन.एस.एस. फीस आदि मदों भवन, फर्नीचर, उपकरण आदि मदों में वसूल नहीं कर सकेगी।

35. संस्था छात्र से रू. 2000/- (रूपए दो हजार मात्र) प्रति छात्र एकमुश्त प्रवेश के समय काशनमनी के रूप में प्रावधानित राशि ले सकेगी, जो छात्र के संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य होगी।

M. Ed.

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति

(छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत गठित)

मनसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कोहका, कुरूद रोड, भिलाई, एम.जे. कॉलेज, कोहका, जुनवानी रोड, भिलाई, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई नगर, शिवा कॉलेज, मैत्री विहार, सुपेला, भिलाई, घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय, आर्य नगर, दुर्ग, अपोलो कॉलेज, वेटनरी कॉलेज के पास,अंजोरा, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुडको, भिलाई, कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर 07, भिलाई नगर, रूंगटा कॉलेज ऑफ साईसेस ऑफ टेक्नालॉजी (संजय रूंगटा ग्रुप), कोहका, कुरूद रोड, भिलाई एवं भिलाई मैत्री कॉलेज, रिसाली सेक्टर, भिलाई (छ.ग.) में संचालित एम. एड पाठ्यक्रम हेतु फीस का पुनरीक्षण शैक्षणिक सत्र 2024-2025, 2025-2026, एवं 2026-2027 के लिए अंतिम रूप से किया जा रहा है।

संकल्प दिनांक 21/11/2024

1. छ.ग. निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008, (जिसे आगे "अधिनियम, 2008" से उल्लेखित किया जाएगा), की धारा 4 (1) एवं (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत छ.ग. शासन द्वारा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति (जिसे आगे ए.एफ.आर.सी. से उल्लेखित किया जाएगा), जिसे निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन एवं फीस के निर्धारण के लिए गठित किया गया है।

ए.एफ.आर.सी. इस संकल्प द्वारा मनसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कोहका, कुरूद रोड, भिलाई, एम.जे. कॉलेज, कोहका, जुनवानी रोड, भिलाई, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई नगर, शिवा कॉलेज, मैत्री विहार, सुपेला, भिलाई, घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय, आर्य नगर, दुर्ग, अपोलो कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, अंजोरा, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुडको, भिलाई, कल्याण स्नातकोत्तर

क्रमांक 4193 2 दिनांक 27/11/24

का पुनर्निर्धारण करने हेतु जिन तथ्यों पर विचार किया जाए उनमें मुद्रा स्फीति भी एक तथ्य है जिसकी दर भारत में 2 से 3 प्रतिशत गत कुछ वर्षों से आंकलित की जा रही है, परन्तु केवल मुद्रा स्फीति को ही फीस वृद्धि के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि मुख्य रूप से केपिटल एक्सपेंडिचर जो संस्था ने किए हैं उनकी लगभग पूर्ति हो चुकी है। दो वर्ष के कोरोना महामारी काल में शिक्षण संस्थाओं के खर्चों में बहुत कमी रही है क्योंकि ऑनलाईन पढ़ाई पर ही शिक्षण संस्थाएं चली है इसलिए दो वर्षों में उनकी काफी बचत भी हुई है। इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए समिति संभावित खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए 3 प्रतिशत की वृद्धि को ही समुचित पाती है। इसके अतिरिक्त विकास के लिए भी प्रत्येक संस्था को उसके स्तर के आधार पर जैसा कि समिति ने निरीक्षण में पाया है अतिरिक्त इनसेंटिव के रूप में भी दिया जाना समुचित पाती है। समिति ने तीन श्रेणियां निर्धारित की है। (अ) बहुत अच्छा (Very Good), (ब) अच्छा (Good), (स) औसत या साधारण (Average) और इस आधार पर ही भविष्य के विकास के लिए भी प्रति छात्र अतिरिक्त राशि देने का तय किया गया है जो क्रमशः औसत या साधारण के लिए 700/-, अच्छा के लिए 1000/-, बहुत अच्छा के लिए 1500/- रूपये निर्धारित की गई।

38. वर्ष 2024-2025 के पूर्व के वर्षों में जिस शिक्षण संस्था में जो फीस ली जा रही थी, वही रहेगी। आगे के वर्षों के लिए नीचे की सूची में वर्णित अनुसार शिक्षण संस्थाओं की आगामी 2024-2025, 2025-2026, एवं 2026-2027 के लिए शैक्षणिक शुल्क निर्धारित करती है।

39. तद्नुसार यह समिति नीचे दर्शित निजी शिक्षण संस्थाओं मनसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कोहका, कुरूद रोड, भिलाई, एम.जे. कॉलेज, कोहका, जुनवानी रोड, भिलाई, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई नगर, शिवा कॉलेज, मैत्री विहार, सुपेला, भिलाई, घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय, आर्य नगर, दुर्ग, अपोलो कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, अंजोरा, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर,

हुडको, भिलाई, कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर 07, भिलाई नगर, रूंगटा कॉलेज ऑफ साईसेंस ऑफ टेक्नालॉजी (संजय रूंगटा ग्रुप), कोहका, कुरूद रोड, भिलाई एवं भिलाई मैत्री कॉलेज, रिसाली सेक्टर, भिलाई (छ.ग.) में संचालित एम.एड पाठ्यक्रम हेतु फीस का अंतिम निर्धारण उसके नाम के सम्मुख वर्षों के लिए निम्नानुसार किया जाता है:-

स. क्र.	निजी एम. एड कॉलेजों के नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का अंतिम निर्धारण किया गया	श्रेणी	कुल फीस प्रतिवर्ष/प्रति छात्र (सम्मिलित ट्यूशन फीस, लायब्रेरी फीस, लेबोरेटरी फीस, ग्रोथ एण्ड डेव्लपमेंट चार्जेस एवं अन्य सभी फीस)
1	मनसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कोहका, कुरूद रोड, भिलाई	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	साधारण	रू. 54,100.00
2	एम.जे. कॉलेज, कोहका, जुनवानी रोड, भिलाई,	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	साधारण	रू. 53,100.00
3	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई नगर	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	साधारण	रू. 54,100.00
4	शिवा कॉलेज, मैत्री विहार, सुपेला, भिलाई	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	साधारण	रू. 53,100.00
5	घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय, आर्य नगर, दुर्ग	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	साधारण	रू. 53,100.00
6	अपोलो कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, अंजोरा	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	अच्छा	रू. 53,600.00